रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 21, 2014/श्रावण 30, 1936
No. 439] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2014/SHRAVANA 30, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 604(अ).—केन्द्रीय केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन, नियम, 2014 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2.भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में,-

अ. उप नियम (5) के खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iii) (I) (क) उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में 67000-79000 रुपए के वेतनमान में सदृश पद धारण कर रहा है; ; या

(ख) ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में वेतन बैंड 4 में 37400-67000 रुपए धन 10000 रुपए ग्रेड वेतन में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा ; या

(ग) वेतन बैंड 3 में 15600-39100 रुपए धन 5400 रुपए ग्रेड वेतन और उससे अधिक में कम से कम पच्चीस वर्ष

की नियमित समूह 'क' पद पर सेवा जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा, ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में वेतन बैंड 4 में 37400-67000 रुपए धन 10000 रुपए ग्रेड वेतन में होनी चाहिए ; और

(II) परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित राजमार्ग इंजीनियरी के क्षेत्र में 18 वर्ष का अनुभव रखता हो ।";

आ. उप नियम (7) के खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iii) (I) (क) उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में 67000-79000 रुपए के वेतनमान में सदृश पद धारण कर रहा है; या

(ख) ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में वेतन बैंड 4 में 37400-67000 रुपए धन 10000 रुपए ग्रेड वेतन में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा ; या

(ग) वेतन बैंड 3 में 15600-39100 रुपए धन 5400 रुपए ग्रेड वेतन और उससे अधिक में कम से कम 25 वर्ष की नियमित समूह 'क' पद पर सेवा जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा, ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में वेतन बैंड 4 में 37400-67000 रुपए धन 10000 रुपए ग्रेड वेतन में होनी चाहिए ; और

(II) परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित राजमार्ग इंजीनियरी के क्षेत्र में अठारह वर्ष का अनुभव रखता हो ।";

[फा. सं. ए-12025/31/2013-ई-II(ख)]

रोहित कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः—मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 507(अ), तारीख 23 जून, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 631(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2006, सा.का.नि. सं. 549(अ), तारीख 24 जुलाई, 2009, सा.का.नि. सं. 711(अ), तारीख 30 सितंबर, 2009, सा.का.नि. सं. 483 (अ), तारीख 8 जून, 2010 और सा.का.नि. सं. 5(अ), तारीख 10 जनवरी, 2012 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2014

G.S.R. 604(E).—Whereas, In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 34 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of service of Members) Rules, 2003, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of service of Members) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of service of Members) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4,

A. in sub-rule (5), for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(iii) (I) (a) is holding an analogous post in Higher Administrative Grade in the pay scale of Rs. 67000-79000; or

(b) has at least three years' regular service in the Senior Administrative Grade of pay band-4 with pay scale of Rs. 37400-67000 plus grade pay of Rs. 10000; or

(c) has held at least twenty five years' regular service in Group 'A' posts in the pay band-3 with pay scale of Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400 and above out of which at least one year' regular service should be in the Senior Administrative Grade pay band-4 with pay scale of Rs. 37400-67000 plus grade pay of Rs. 10000; and

(II) havingeighteen years' experience in the field of Highway Engineering related to implementation of the projects."

B. in sub-rule (7), for clause (iii) the following shall be substituted, namely:—

"(iii)(I) (a) is holding an analogous post in Higher Administrative Grade in the pay scale of Rs.67000-79000; or

(b) has at least three years' regular service in the Senior Administrative Grade of pay band-4 with pay scale of Rs. 37400-67000 plus grade pay of Rs. 10000; or

(c) has held at least 25 years' regular service in group 'A' posts in the pay band-3 with pay scale of Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs.5400 and above out of which at least one year' regular service should be in the Senior Administrative Grade pay band-4 with pay scale of Rs. 37400-67000 plus grade pay of Rs. 10000; and

(II) having eighteen years' experience in the field of Highway Engineering related to implementation of the projects.".

[F. No. A-12025/31/2013-E-II (B)]

ROHIT KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 507(E), dated the 23rd June, 2003 and subsequently amended vide number G.S.R. 631(E), dated the 12th October, 2006, number G.S.R. 549(E), dated the 24th July, 2009, number G.S.R. 711 (E), dated the 30th September, 2009, number G.S.R. 483(E), dated the 8th June, 2010 and number G.S.R. 5(E), dated 10th January, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.